138/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख [illegible] जो इस [illegible] में जारी हुए
16 जुलाई 2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित। जिनकी बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। बहस के दौरान अधिवक्ता-अपीलाण्ट एवं अधिवक्ता-रेस्पो. के मध्य इस बाबत सहमति बनी कि स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत कोई आदेश पारित किये जाने की बजाय रेस्पो. संख्या एक को उसकी खातेदारी भूमि तक आवागमन हेतु 16 फीट चौडाई का रास्ता अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से उपलब्ध कराते हुए मूल अपील का निस्तारण कर दिया जावे। अपील पत्रावली का अवलोकन करने एवं उपस्थित अधिवक्तागण की बहस के दौरान जाहिर की गयी सहमति को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा प्रकरण संख्या 89/2022 अनुवान सुखाराम बनाम पुरखाराम आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जुलाई 2024 के जरिये रेस्पो. संख्या एक सुखाराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 218/1 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाके मौजा झंवर तहसील झंवर तक आवागमन हेतु अपीलाण्ट पुरखाराम की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 218/2 रकबा 1.0522 हैक्टेयर वाके मौजा झंवर तहसील झंवर में प्रदत्त किये गये 20 फीट चौडे रास्ते की चौडाई 20 फीट की बजाय पक्षकारान की सहमति अनुसार 16 फीट रखी जाती है। इसी अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जुलाई 2024 संशोधित किया जाता है। तदनुरूप संबंधित तहसीलदार कार्यवाही करते हुए संशोधित प्रतिफल राशि (रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की डी.एल.सी. दर की दोगुणा राशि) की गणना कर संबंधित को अवगत कराते हुए नियमानुसार रेस्पो. एक से जरिये चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट विचारण न्यायालय के माध्यम से अपीलाण्ट को दिलायी जावे। राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	